

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या-1, सेक्टर नॉलेजपार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी
गौतमबुद्ध नगर 201310

पत्रांक: नियो0/2018/पीओ-53/154
दिनांक 13/02/2018

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 111वीं बोर्ड बैठक दिनांक 01.02.2018 के मद संख्या-111/4 में कय योग्य घनत्व की गणना विधि के अनुमोदन के क्रम में ग्रेटर नौएडा भवन विनियमावली-2010(यथा संशोधित) के अध्याय 29.2(नौ) के स्तम्भ-2 के अनुसार वर्णित मूल्य का 1 प्रतिशत पर प्रति 5 प्रतिशत गणना की जायेगी। जिसकी गणना विधि (Flat increase method) का उधारण निम्नानुसार है:-

Maximum Permissible Density= 2100 pph

As example:-

Say maximum permissible density as per tender is 525 PPH

Maximum FAR 175

Density Achieved after purchasable FAR -1050PPH

5% of Density 1050 pph = $1050 \times 5 / 100 = 52$ pph, 1% of Current Land Allotment Price = (

Therefore to reach upto 2100 PPH total amount of density increase-

$\frac{2100-1050}{52} \times 100 = 20\%$ **Current Land Allotment Price**

52

तदानुसार कय योग्य घनत्व की उक्त गणना विधि के आधार पर कय योग्य घनत्व की गणना करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

P.

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(टी/जी) को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष() को सूचनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक(नियो0) को अनुपालनार्थ सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ प्रबन्धक(नियो0)/वरिष्ठ कार्यपालक(नियो0) को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. गार्ड फाइल।

Balle
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

7. system Dept (for uploading on website)